अधिकारी सहकारी साख समिति मर्यादित भोपाल
"एक नजर में"

- संस्था की सदस्यता ग्रहण करने हेतु संस्था की बेवसाईट www.sbiasssbhopal.com से फार्म डाउनलोड कर या संस्था से फार्म प्राप्त कर उसमें रू 2600/– संस्था के खाता कमांक 31513814962 में जमा कर फार्म संस्था को भेजे । (सदस्यता प्राप्त होने के उपरान्त रू 1000/–प्रत्येक माह की राशि सदस्य को जमा करना होगी).

1.	प्रवेश शुल्क	रू 100.00	एकबार **(Non refundable)**
2.	न्यूनतम अंशराशि	रू 1000.00	एकबार (सेवानिवृति पर भुगतान)
3.	परिवार कल्याण जमा योजना	रू 1000.00	प्रतिमाह **(4.5%** प्रतिवर्ष ब्याज की दर सेवानिवृति पर भुगतान**)**
4.	सदस्य सुरक्षा शुल्क	रू 500.00	प्रतिमाह
	कुल राशि	रू 2600.00	

सुरक्षा राशि सदस्य की सेवाकाल के दौरान निधन होने पर परिवार के आश्रितों को राशि **रू 15.00 लाख** की सहायता के साथ ही संस्था में जमा राशि **(FGDS & Share money)** का भुगतान किया जाता है।

- **न्यूनतम अंश राशि** – न्यूनतम अंश राशि रू 1000/– के अंश सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक है । अंश राशि पर सदस्यों को प्रतिवर्ष लाभांश प्रदान किया जाता है ।

- **परिवार कल्याण जमा योजना (FGDS)** - के अंतगर्त रू 1000/– की राशि प्रतिमाह जमा की जाती है इस पर संस्था द्वारा वर्तमान में 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है ।

- **सदस्य सुरक्षा शुल्क** – इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह रू 500/–की राशि सदस्य द्वारा जमा की जाती है । कम से कम 12 मासिक किश्त जमा होने के पश्चात सदस्यों के सेवाकाल/सदस्य रहते हुए आकस्मिक निधन पर रू 15.00 लाख तक की सहायता आश्रितों को दी जाती है । साथ ही **FGDS & SHARE MONEY** जो संस्था में जमा है वह भी वापिस की जाती है । सदस्य के ऋण होने की स्थिति में सुरक्षा शुल्क राशि ऋण में समायोजित कि जाती है ।

- **मध्यावधि ऋण**.– अधिकतम ऋण राशि **10 लाख,** समय सीमा– **15 वर्ष,** वर्तमान ब्याज दर–**7.70 प्रतिशत,** एंव जिन सदस्यों की उम्र 45 वर्ष से ऊपर है उन्हें ऋण **10 वर्ष** हेतु प्रदान किया जावेगा। सदस्य को ऋण राशि का 10 प्रतिशत भाग का अंश प्राप्त करना अनिवार्य है । मध्यावधि ऋण कटौती की किश्त राशि मिलाकर कुल मासिक वेतन के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । जिन सदस्यों ने बैंक से व्यक्गित ऋण लिया हो अथवा नहीं लिया हो दोनों ही परिस्थिति में उन्हें उप महाप्रबन्धक (बी एण्ड ओ) द्वारा समिति से ऋण प्राप्त करने हेतु अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है ।

नोटः– जिन सदस्यों की बैंक कन्फर्म सर्विस **5 वर्ष** से कम है उन्हें संस्था से रू 5 लाख ऋण प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
जिन सदस्यों की बैंक कन्फर्म सर्विस **>= 5 वर्ष** से अधिक है उन्हें संस्था से रू 10 लाख ऋण प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

- **त्यौहार ऋण** – अधिकतम ऋण राशि **200000/–** ऋण का पुर्न भुगतान **11** समान मासिक किश्तों में, ब्याज दर –**7.70** प्रतिशत, सदस्य को ऋण राशि का 10 प्रतिशत भाग का अंश प्राप्त करना अनिवार्य है ।

- वर्तमान विधिक प्रावधानों के अनुसार हमारे अधिकारी साथी एक से अधिक साख समिति के सदस्य तो बन सकते हैं,लेकिन **ऋण सुविधा सिर्फ एक ही सोसायटी से प्राप्त की जा सकती है ।**

- **ब्याज प्रमाण पत्र एंव खाता विवरणी** –सावधि ऋण की ब्याज राशि का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । मकान निर्माण या मरम्मत,मद में ऋण लेने पर नियमानुसार सदस्य आयकर से छूट या अन्य लाभ/सुविधा ले सकते हैं। संस्था की बेवसाईट www.sbiasssbhopal.in में जाकर सीधे **Login** कर खाते का स्टेटमेंट एंव ब्याज सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है ।

संस्था की बेवसाईट से मध्यावधि ऋण,त्यौहार ऋण, नवीन मेम्बरशिप फार्म आदि डाउनलोड में जाकर प्राप्त कर सकते है ।

LOGIN – PF INDEX NO.

PASSWORD- SOCIETY MEMBERSHIP NO.प्रथम बार लॉग इन करने के लिए।

- **गेस्ट हाऊस** – संस्था द्वारा भोपाल में 2 गेस्ट हाऊस, रायपुर, जबलपुर, उज्जैन ,इन्दौर, ग्वालियर एंव बिलासपुर में एक–एक एयर कण्डीशन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित केटरिंग सुविधा से युक्त चलाए जा रहे है।